सं0 528 /प्र0स0आई0टी0/2024

सं0- 171/78-2-2024

संख्या- 79 /एक-9-2024-रा-9

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-09 **लखनऊः दिनांक 23 जनवरी, 2024**

विषयः राजस्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/सेवाओं यथा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के आधार अधिप्रमाणन हेतु।

महोदय,

आप अवगत हैं कि जनसामान्य से सम्बन्धित सेवाओं को सरलतम तरीके से जनमानस को उपलब्ध कराने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। तद्हेतु राजस्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/सेवाओं यथा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के लिए आधार अधिप्रमाणन की व्यवस्था बनायी गयी है ताकि इन प्रमाण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया का सरलीकरण हो सके तथा सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को सुगमतापूर्वक प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित हो सके।

2— उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग से सम्बन्धित सेवायें, यथा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अनवरत रूप से प्रदान की जा रही हैं।

वि0 स0 (R.R.) Pls. ensure compliance

3— अतः इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार के पत्रांक-23011/gen/2014/Legal-UIDAI दिनांक 15 सितम्बर 2016(v), पत्रांक-1-1/2019-UIDAI(DBT) दिनांक 25 नवम्बर 2019(x) तथा Aadhar for delivery of services by Government departments under Section 7 of Aadhar(Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 (as amended)-reg. विषयक यू0आई0डी0ए0आई0 मुख्यालय, नई दिल्ली के द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप सं0-Fn. HQ-13079/55/2021-AUTH-II(E-6074)/3229 दिनांक 11-08-2022(y) के क्रम में उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-565/1-9-2023-रा0-9 लखनऊ दिनांक 18-4-2023 द्वारा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा हैसियत प्रमाण पत्र को आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान), 2016 (अधिनियम संख्या-18 सन 2016) की धारा-7 के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया है।

24-1-24
(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
आई0टी0 एवं इले0, एन0आर0आई0 विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

466/VS(RR)/24
JS
29.01.24

4— तद्क्रम में, शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु इच्छुक आवेदक से आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओ0टी0पी0 के माध्यम से आधार अधिप्रमाणन कर, फैमिली आई0डी0 से जोड़ते हुए, प्रमाण पत्रों को निर्गत किये जाने हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

(मानिक कुमार भट्टाचार्य)
निजी सचिव
विशेष सचिव
आई0 टी0 एवं इले0
उ0प्र0 शासन।

(1)-सर्वप्रथम आवेदक द्वारा मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई0डी0 सहित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up.gov.in पर लॉगिन किया जायेगा।

आज्ञार्थ 30/1/2024

अनु सचिव (जे) 30/1/2024 S.S.

SO, IT-2 30/1/2024

राज्य समन्वयक 30.1.2024
कृपया प्रस्तावित प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(2)– लॉगिन के बाद आवेदक द्वारा अपना आधार नम्बर तथा मोबाइल नम्बर भरा जायेगा।

(3)– तदुपरान्त आवेदक के आधार से लिंक्ड मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगी।

(4)– आवेदक द्वारा ओ0टी0पी0 सबमिट करते ही आवेदक का वही नाम, जन्मतिथि एवं फोटो प्रदर्शित होगा जो उसके आधार कार्ड में अंकित है (आवेदक के लिए फोटो बदले जाने का भी विकल्प उपलब्ध होगा)।

(5)– सत्यापन के उपरान्त फैमिली आई0डी0, फैमिली आई0डी0 सर्वर से स्वतः प्राप्त हो जायेगी। फैमिली आईडी0 प्राप्त न होने की दशा में भी आवेदक को प्रमाण पत्रों के लिये आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

(6)– वर्तमान में प्रमाण पत्रों के निर्गमन हेतु निर्धारित शुल्क, सत्यापन तथा अनुमोदन की प्रक्रिया यथावत रहेगी।

5– उपरोक्त के फलस्वरूप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया सरलीकृत हो जायेगी एवं वास्तविक लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होने के साथ–साथ लाभार्थी को बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी। यह प्रक्रिया दक्ष एवं पारदर्शितायुक्त है, जो नागरिकों को सरलतापूर्वक सेवायें उपलब्ध करायेगी। इस योजना के संचालित होने के फलस्वरूप परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के उपरान्त परिवार के अन्य सदस्य द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सुगमता से, बिना किसी विलम्ब के, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा।

6– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रक्रियानुसार आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के निर्गमन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2–प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5–राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
6–राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0, लखनऊ।
7–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)
अनु सचिव।